प्रेस नोटः—

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक—17.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग—

जनपदीय पुलिस / यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न—भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **77 वाहनों से मु0—17350 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल— 17 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल—03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 60 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. महादेव पुत्र राम लौटन निवासी भौरहा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—109 / 19, 02. सपई पुत्र सोमई नि0 केवटहिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—110 / 19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नक्छेद पुत्र पांचू नि0 गौरी जमादार पुरवा बरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—89 / 19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

बरामदगी—

01. 60 ली0 कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 17.04.2019

मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 04 तस्कर गिरफ्तार, 764 ग्राम अफीम बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. इरफान अहमद कुरेशी पुत्र आजाद अहमद कुरेशी निवासी परमपुरवा थाना रेलबाजार जनपद कानपुर नगर।
02. बलराम चौहान पुत्र बधिराम चौहान निवासी थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
03. राधेश्याम पुत्र धनीराम निवासी शाहकुहिया थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर।
04. रामअनुज पुत्र रामदास निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फत्तेहजोत थाना को0 नगर बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–294/19 धारा 22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–295/19 धारा 22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–296/19 धारा 22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–297/19 धारा 22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. अभियुक्त इरफान के पास से 200 ग्राम।
02. अभियुक्त बलराम के पास से 200 ग्राम।
03. अभियुक्त राधेश्याम के पास से 184 ग्राम।
04. अभियुक्त रामअनुज के पास से 180 ग्राम।

संक्षिप्त विवरण–

लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह ने जनपद में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्षों को शख्त निर्देश दिये थे

जिसके परिपेक्ष्य में चौकी इंचार्ज मिश्ररौलिया व चौकी इंचार्ज रोडवेज मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त मे रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि प्राइमरी पाठशाला जानकी नगर में कुछ तस्कर मादक पदार्थ की तस्करी के लिये खडे है। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज मिश्रलौलिया व चौकी इंचार्ज रोडवेज मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पहुॅचकर कर अभियुक्तों के कब्जे से कुल 764 ग्राम अफीम बरामद कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. चौकी इंचार्ज मिश्ररौलिया अरविन्द वर्मा।
02. चौकी इंचार्ज रोडवेज नीरज सिंह।
03. का0 नागेन्द्र सिंह।
04. का0 मनोज।
05. का0 मो0 इमरान।
06. का0 विपिन कुमार पाण्डेय।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 17.04.2019

थाना छपिया पुलिस के हत्थे चढा जिलाबदर अभियुक्त–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मोहलू गुप्ता पुत्र चुन्नीलाल गुप्ता नि0 पायरखास थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–111/19 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/वांछित/जिलाबदर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा आर0पी0 सिंह द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। जिस क्रम में छपिया पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त मोहलू गुप्ता पुत्र चुन्नीलाल गुप्ता नि0 पायरखास थाना छपिया जनपद गोण्डा को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 18.03.2019 को जिलाबदर घोषित किया गया था फिर भी अभियुक्त अपने घर पर आता जाता रहता था। जिसको प्रभारी निरीक्षक छपिया श्याम बहादुर सिंह के नेतृत्व में छपिया पुलिस द्वारा उक्त जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक छपिया श्याम बहादुर सिंह।
02. उ0नि0 कामेश्वर राय।
03. का0 अखिलेश राय।
04. का0 चेतन पाण्डेय।